

प्रेषक,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2020

विषय: कोविड-19 वायरस के प्रकोप से बचने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि में दिये गये मानदंडों के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग अनुभाग-11 के पत्र संख्या - 202/एक-11-2020 दिनांक 27.03.2020 (संलग्नक-1) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 वायरस के कारण लॉकडाऊन से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल स्थापित करने तथा भोजन आदि की व्यवस्था करने हेतु समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया है।


2. उक्त पत्र के अंतिम प्रस्तर में उल्लेख है कि "यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति आश्रय स्थल/स्क्रीनिंग कैम्प में आने में असमर्थ है, तो उस दशा में ऐसे व्यक्ति/परिवार हेतु निःशुल्क भोजन आदि की व्यवस्था राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-151/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 24.03.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी जिसके लिए धनराशि का आवंटन पूर्व में ही किया जा चुका है।" के निर्देश समस्त जनपदों को दिये गये हैं।

उक्त प्रस्तर में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों के लिये भोजन आदि की व्यवस्था भी शासनादेश संख्या-161/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 27.03.2020 (संलग्नक-2) में आवंटित धनराशि के द्वारा ही की जाएगी।

3. इस विषय में भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश संख्या-33-04/2020-NDM-1, दिनांक 28 मार्च 2020 (संलग्नक-3) के अनुसार कोविड-19 वायरस के कारण लॉकडाऊन से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल या अन्य स्थानों में रखे गये व्यक्तियों को पर्याप्त भोजन, वस्त्र और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या -32-7/2014-एन0डी0एम0-1 दिनांक 08.04.2015 के मद संख्या-3(a) में दिये गये मानदंडों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं।

4. कृपया तत्काल प्रभाव से उक्त संशोधित प्रक्रिया को अपनाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन प्रभाग, सी० विंग, तृतीय तल, एन०डी०सी०सी०-११, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. राजस्व अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।